बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–20/2013–(खंड) 4683 खाद्य, पटना/दिनांक– 03/11/2021

प्रेषक,

दिनेश कुमार, भा0प्र0से0
निदेशक ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, किशनगंज मुजफ्फरपुर एवं रोहतास।

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2021 के आवंटन में खाद्यान्न उठाव की स्थिति एवं भंडारण की अद्यतन समस्या के कारण संशोधन के संबंध में।**

प्रसंग :– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पत्रांक 7802 दिनांक 02.11.2021

महाशय/महाशया

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निगम के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा खाद्यान्न उठाव की वर्तमान स्थिति एवं भंडारण की समस्या के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत राजस्व जिला पटना से पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों हेतु आवंटित गेहूँ की मात्रा को घटाकर उक्त मात्रा को राजस्व जिला किशनगंज, मुजफ्फरपुर एवं रोहतास को अतिरिक्त रूप से आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत विभागीय पत्रांक 2998 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के लाभुकों हेतु आवंटित केवल गेहूँ की मात्रा को माह दिसम्बर, 2021 हेतु निम्नांकित जिलों के लिए निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

(मात्रा क्वीं0 में)

क्रं0 सं0	जिला का नाम	पूर्विकताप्राप्त लाभुकों हेतु पूर्व में आवंटित गेहूँ की मात्रा	गेहूँ की मात्रा में गई कटौती (क्वीं0 में)	गेहूँ की आवंटित अतिरिक्त मात्रा (क्वीं0 में)	संशोधित आवंटन (क्वीं0 में)
1	पटना	82052.86	82052.86	--	--
2	किशनगंज	24893.24	--	17030.00	41923.24
3	मुजफ्फरपुर	66509.90	--	47682.86	114192.76
4	रोहतास	33529.20	--	17340.00	50869.20
कुल मात्रा :–		**206985.20**	**82052.86**	**82052.86**	**206985.20**

3. विभागीय पत्रांक 2998 दिनांक 29.07.2021 द्वारा कंडिका–2 में वर्णित उपरोक्त जिलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना से आच्छादित लाभुकों हेतु आवंटित खाद्यान्न यथा – गेहूँ एवं चावल की मात्रा तथा पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी अन्तर्गत चावल की मात्रा यथावत् रहेगी। साथ ही, शेष सभी जिलों के लिए विभागीय पत्रांक 2998 दिनांक 29.07.2021 द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा भी यथावत् रहेंगी।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 से विभागीय पत्रांक 2998 दिनांक 29.07.2021 द्वारा आवंटित खाद्यान्न की मात्रा सभी जिलों के लिए अगले आदेश तक यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,

निदेशक ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–20/2013–(खंड) 4683 खाद्य, पटना/दिनांक– 03/11/2021
प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना एवं महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरूणाचल भवन, एक्जीविशन रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक ।

(119)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर. ब्लॉक रोड नं0-2 पटना-1

पत्रांक-TPDS/2:15:16:01:2018/ 7802 पटना/दिनांक 2.11.21

प्रेषक,

महाप्रबंधक, जन वितरण,
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- **खाद्यान्न भंडारण की स्थिति के कारण जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में NFSA –Dec'21 के गेहूँ के आवंटन में संशोधन हेतु अनुरोध।**

संदर्भः-
1. जिला पदाधिकारी, पटना का पत्रांक 1666 दिनांक 28.10.2021
2. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर का पत्रांक 1462 दिनांक 21.10.2021
3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज का पत्रांक 952 दिनांक 18.10.2021
4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास का पत्रांक 370 दिनांक 12.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा NFSA मद् में पटना जिला के गोदामों में गेहूँ की अधिशेष मात्रा होने तथा उसके कारण उत्पन्न भंडारण की समस्या के संदर्भ में संसूचित किया है। साथ ही साथ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर, किशनगंज एवं रोहतास द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उक्त मद् में कतिपय कारणों से गेहूँ की कमी होने के संबंध में बताया गया है।

इस परिपेक्ष्य में भंडारण की समस्या को देखते हुये राजस्व जिला पटना से NFSA-Dec'21 के गेहूँ के आवंटन में से खाद्यान्न की मात्रा घटाकर राजस्व जिला मुजफ्फरपुर, किशनगंज एवं रोहतास को देनें का प्रस्ताव है। प्रस्ताव अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

इस संदर्भ में अनुरोध है कि प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित संशोधित आवंटन को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
2.11.21
महाप्रबंधक, जन वितरण

TPDS N